सं. 189] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 2006/पौष 2, 1928
No. 189] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 2006/PAUSA 2, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 दिसम्बर, 2006

सं. टीएएमपी/49/2006-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, विशाखापटणम पत्तन न्यास (वीपीटी) के दरमान में फ्लाई एश के लिए पोत घाटशुल्क दर का अनुमोदन करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/49/2006-वीपीटी

विशाखापटणम पत्तन न्यास (वीपीटी) .... आवेदक

आदेश

(दिसंबर 2006 के 8वें दिन पारित)

विशाखापटणम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने अपने पत्र दिनांक 23 नवंबर, 2006 द्वारा, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के अभ्यावेदन के आधार पर फ्लाई एश के बारे में तदर्थ घाटशुल्क प्रभारों के निर्धारण हेतु एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

2.1. वीपीटी ने निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं को प्रस्तुत किया है:-

(i). एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) जो एनटीपीसी का एक सहायक निकाय है, वह भारत से प्रथम बार फ्लाई एश का निर्यात कर रहा है। वीपीटी से प्राप्त 54000 मोट्रिक टन के परीक्षण-आदेश के अनुपालन में एनवीवीएनएल ने, पहले ही, जून 2006 तथा अप्रैल 2006 के दौरान 7500 मोट्रिक टन तथा 7293 मोट्रिक टन के दो प्रेषण (माल) पश्चिमी एशिया के लिए भेज दिए है। परीक्षण आदेश के सफलतापूर्वक निष्पादक के बाद, प्रतिमाह 6000 मोट्रिक टन फ्लाई एश प्रेषित करने की, दीर्घ अवधि ठेके अंतिम रुप प्रदान किया जायेगा।

(ii). लाई एश वीपीटी पर प्रहस्तन की जानेवाली एक नयी वस्तु है। वीपीटी के दरमान की वर्तमान पोत घाटशुल्क अनुसूची में इस कार्गो के प्रहस्तन के लिए कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है।

(iii). एनवीवीएनएल से प्राप्त पिछले दो प्रेषणों के लिए, फ्लाई एश को, रू.1000/- से अधिक के मूल्य वाले अपरिमणित मूल्यवान, कार्गों के रुप में माना गया था। तदनुसार, पत्तन द्वारा अपने दरमान में निर्धारित 40 रूपये प्रति टन की पोत घाटशुल्क दर लगाई गई थी।

(iv). एनवीवीएनएल ने पत्तन के पास अभ्यावेदन देत हुए अनुरोध किया है कि फ्लाई ऐश के लिए वही पोत घाटशुल्क लगाया जाए जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, बन्टोनाइट, डोलोमाइट चिप्स और नदी की रेत जैसे समान प्रकृति वाले, कम मूल्य के कार्गो के लिए वीपीटी के दरमान में निर्धारित हैं।

2.2. इस पृष्ठभूमि में, वीपीटी ने बेन्टोनैट, ब्लास्ट फ़र्नेस स्लैग जैसे समान मूल्य वाले कार्गो के अनुरूप (फलाई एश के लिए), रुपये 13/- प्रति टन (विदेशगामी हेतु) और रु.7.80 प्रति टन (तटीय हेतु) पोत घाटशुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। इस बीच, संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.1 से 2.17.4 तक के अनुसार, साथ ही साथ, इस दर को तदर्थ आधार पर लगाने का भी प्रस्तावित करता है।

2.3. वीपीटी ने, समान प्रकृतिवाले कार्गो के मद्देनज़र, पोत घाटशुल्क दर की उगाही के प्रयोजन के लिए, फ़्लाई एश को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के समतुल्य मानने को, पत्तन से अनुरोध करते हुए, प्रस्तुत की गयी एनवीवीएनएल के अभ्यावेदन की प्रति को भी अग्रेषित किया है।

3. संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी, प्रस्तावित प्रशुल्क को तदर्थ आधार पर प्रचालन करने के लिए, पत्तन को अनुमत करते हैं बशर्ते वह प्रशुल्क तुलनात्मक सेवाओं/कार्गो के लिए अधिसूचित वर्तमान प्रशुल्क के आधार पर परिकलित किया व यही तथा पत्तन और संबद्ध प्रयोक्ता परस्पर सहमत हों।

4.1. तात्कालिक मामले में, वीपीटी ने यह मान लिया है कि फ़्लाई एश, ब्लास्ट फ़र्नेस स्लैग, बेन्टोनाइट, डोलोमाइ चिप्स जिनके लिए दरमान में एक विशिष्ट पोत घाटशुल्क दर निर्धारित है, के समान है। संबद्ध प्रयोक्ता एनवीवीएनएल का अभ्यावेदन भी वीपीटी द्वारा सूचित की गई स्थिति की पुष्टि करता है। फ़्लाई एश का अपरिमणित माल-(कार्गो) के अंतर्गत वर्गीकरण करने पर, प्रस्तावित दर, वीपीटी द्वारा पहले प्रेषणों पर लगाई गई दर से कम है। इस स्थिति के मद्देनज़र तथा इसको भी मानते हुए कि यह प्रस्ताव, पत्तन और संबद्ध प्रयोक्ता के बीच परस्पर सहमत है और समान प्रकृतिवाले कार्गो हेतु निर्धारित प्रशुल्क पर आधारित है, यह प्राधिकरण, फ्लाई एश की प्रस्तावित पोत घाटशुल्क दर को रूपये 13/- प्रतिटन (विदेशगामी के लिए) और रूपये 7.80 प्रतिटन (तटीय के लिए) पर, अनुमोदन करने को प्रवृत्त होता है। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि फ़्लाई एश के लिए अनुमोदित पोत घाटशुल्क दर सिर्फ एनवीवीएनएल के मामले में ही नहीं, लेकिन इस कार्गो को वीपीटी में लानेवाले किसी भी प्रयोक्ता के लिए एक रूप से लागू होगी।

4.2. चूँकि यह, परस्पर सहमत दर है और समान कार्गो के लिए लागू दरों के आधार पर परिकलित है, इस प्राधिकरण ने, इस कार्गो के प्रहस्तन के लिए, लागत विवरण पर आग्रह नहीं किया है। इस दर की समीक्षा, इस विशिष्ट कार्गो के प्रहस्तन की लागत के संदर्भ सहित, अगले प्रशुल्क संशोधन के समय पर की जायेगी। इस बीच में, अगर कोई प्रयोक्ता, एनवीवीएनएल और वीपीटी के मध्य, परस्पर सहमति के आधार पर फ़्लाई एश के लिए अनुमोदित दर पर अपनी शिकायत अभिव्यक्त करता है तो इस कार्गो के प्रहस्तन के लिए लगने वाली लागत के आधार पर इस प्राधिकरण को यह अधिकार रहेगा कि, उस समय, दर की समीक्षा करे।

4.3. साधारणतया, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें, प्रारंभ समय अनुमत करने के पश्चात, कार्यान्वित की जा सकती हैं। वीपीटी, अपने पत्तन पर, इस कार्गो को नियमित रूप से प्रहस्तन करने की अपेक्षा करती है पर, उसके दरमान में फ़्लाई एश के लिए कोई विशिष्ट पोत घाटशुल्क दर उपलब्ध नहीं है। वीपीटी द्वारा अभिव्यक्त की गयी अत्यावश्यकता के मद्देनज़र, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर, भारत के राजपत्र में, यह आदेश की अधिसूचित होने की तिथि से, तुरन्त प्रभावित होगा।

5.1. फलस्वरूप और उपरोक्त कारणों से, यह प्राधिकरण, वीपीटी के दरमान में, खण्ड 4 कार्गो संबंधी प्रभारके अंतर्गत, अनुसूची 4.1 पोत घाटशुल्क में, क्रमांक 45 को निम्नानुसार समाविष्ट करने का अनुमोदन करता है :-

मद संख्या	नामावली	यूनिट	विदेशगामी दर (रूपयों में)	तटीय दर (रूपयों में)
45	फ़्लाई एश	प्रति टन	13.00	7.80

5.2. यह दर, भारत के राजपत्र में यह आदेश की अधिसूचित होने की तिथि से तुरन्त प्रभावित होगी।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2006/असा.]